तत्काल / अनुस्मारक

पत्र सं0-स्था0-6-सामान्य निर्देश (132) भाग-3/2021-22/ 231 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 15 अप्रैल, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया कमिश्नर, वाणिज्य कर के पत्र संख्या-118 दिनांक 09.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभाग के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी/सेवानिवृत्त यथा (ए0सी0पी0/वेतन निर्धारण / पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण/जी0पी0एफ0 आदि) लम्बित प्रकरणों का परीक्षण एवं तत्काल निस्तारण कराये जाने हेतु जोन स्तर पर किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये जाने एवं नामित नोडल अधिकारी द्वारा लम्बित प्रकरण में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके उसका नियमानुसार निस्तारण कराते हुए लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना ई-मेल आई0डी0 (commissioner_commercial@rediffmail.com) पर उपलब्ध कराने एवं नामित किये गये नोडल अधिकारी की सूचना से मुख्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सूचना उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही नामित नोडल अधिकारी की सूचना से अभी तक मुख्यालय को अवगत नही कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों अपेक्षित सूचना प्रत्येक दशा में 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराये जाने एवं नामित किये गये नोडल अधिकारी की सूचना उपलब्ध कराने हेतु।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।